Frequent Flyer Programme

*28. SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) the number of passengers who have joined the frequent flyer programme;

(b) the time normally taken for crediting the mileage points;

(c) whether any complaint came to the notice about the long delay in crediting the mileage points; and

(d) what are the new proposals for making programme attractive?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) The membership of the Frequent Flier Programme is 21,500 at present.

(b) and (c) In the initial stages, soon after launch of the scheme the time required for crediting the mileage points was about four weeks and some complaints of delay were received. The system has been progressively improved and the time required for crediting the mileage points has been reduced to about two weeks at present.

(d) The programme has been progressively modified and the procedures streamlined during the last one year to make it more attractive for consumers. Accrual period for 30000 mileage points was extended from one year to three years and the members can club mileage points with their spouses to reach the threshold provided both are members.

Future plans include partnership alliances with hotel chains, credit card companies, car rentals etc. to enable memebrs to earn mileage points when utilising these services.

टिहरी बांध के संबंध में खेत पत्र

*29. श्री राम जेठमलानी:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1995 के "दि ट्रिब्यून" में "व्हाइट पेपर ऑन टिहरी डैम साइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि प्रबुद्ध एवं विशिष्ट नागरिकों ने सरकार से टिहरी परियोजना से जुड़े विवादों के संबंध में खेत पत्र जारी करने की अपील की है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अपील पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो खेत पत्र कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) से (ङ) जी हां। समाचार-पत्र में उल्लेख किया गया है कि अनेक संबंधित वरिष्ठ नागरिकों ने टिहरी बांध के सभी पहलुओं के संबंध में खेत पत्र जारी किए जाने की मांग की है। सरकार ने टिहरी बांध परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अलग से विविध प्रत्यावेदन प्राप्त किए हैं।

सरकार ने टिहरी बांध के सभी पहलुओं की विस्तारपूर्वक जांच की है और ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श के बाद ही परियोजना को क्रियान्वित किए जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था।

इसलिए सरकार इस संबंध में खेत पत्र जारी करने का प्रस्ताव नहीं रखती है। तथापि, सरकार किसी भी नए तथा यथेष्ट मुद्दों, जो उठाए जा सकते हैं, कि जांच करने के लिए तैयार है।

हिन्दी फिल्मों में अश्लील और उत्तेजक दृश्यों में वृद्धि

*30. श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिन्दी फिल्मों में अश्लील और उत्तेजक दृश्यों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद ऐसे दृश्यों में तेजी से बढ़ोत्तरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में कोई दण्डात्मक कानून बनाने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी;

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) अश्लील और उत्तेजक दृश्यों में वृद्धि संबंधी शिकायतें/प्रेस रिपोर्टें सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं। इन रिपोर्टों को प्रमाणित करने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। सभी फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद ही प्रदर्शित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने हेतु एक विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम में निर्धारित दण्डों में वृद्धि करना प्रार्थित है।

Evasion of payment of import duty on marble

*31. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Importers carve a custom-made fraud in imported marble" appearing the Indian Express dated 9th June, 1995;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken to curb such frauds?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) Yes, Sir. The Government is aware of the news item appearing in the Indian Express dated 9th June, 1995.

(b) and (c) Import of marbel against Advance Licences under Duty Exemption Scheme were noticed in the ports of Bombay and Nhava Sheva. Goods were mostly imported against transferred Advance Licences. The imports were therefore replenishment of the imputs already used in the exports. In all cases where there was no evidence of imported marble having been used in the export products, goods were either charged to duty or allowed provisional clearance against bond under the custom, law. In cases where under-valuation was suspected, duty was charged at enhanced value provisionally. Higher export prices were in respect of articles in the nature of artifacts which are costly products of marble and therefore the allegation over invoicing is not correct. Some of the cases where controventions have been noticed were adjudicated in terms of the provisions of Customs Act and in other cases action according to law is being taken. The allegation of fraud and collusion with Customs authorities in the news-item is, therefore, not correct. The total value of import of marbles in the two ports for the period 1992-1995 (upto 31.3.95) is only Rs. 14 crores approximately. Hence, the allegation of a Rs. 100 crore fraud is also not correct.

विदेशी बैंकों से ऋण

*32. श्री दिग्विजय सिंह:
श्री सत्य प्रकाश मालवीय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत पर विदेशी बैंकों जैसे विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि का कुल कितना ऋण है और कुल ऋण पर प्रति वर्ष ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है;